राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2020 अपील

1. लादी पत्नि प्रभुलाल खटीक निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा 2. संजय पिता प्रभुलाल खटीक निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा 3. शंकरलाल पिता प्रभुलाल खटीक निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा 4. गोपाल पिता प्रभुलाल खटीक निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. भंवरलाल पिता छगना भील निवासी ईरास तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा 2. उगमा पत्नि लादुजी भील निवासी कंकरोलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा 3. कार्तिकेय पिता भरत मीणा निवासी मालवीय नगर जिला जयपुर 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा 5. उप–पंजीयक महोदय भीलवाड़ा 6. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
–अपीलार्थी		– प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 2310 दिनांक 26/12/2001

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.08.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण सं. 2310 दिनांक 26.12.2001 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा में स्थित कृषि आराजी संख्या 3859/1, 3860, 3861/1, 3867, 3869, 3871, 3872, 3881, 3882, कुल किता 9 कुल रकबा 8 बीघा 16 बीस्वा भूमि ग्राम सुवाणा में स्थित है। जो कि मूलतः मौतीलाल पिता बरदा भील के नाम पर दर्ज थी। जिसकी विरासत का नामान्तरण नारायण पिता उदा भील व नाथु पिता बरदा भील के नाम पर दर्ज किया गया। नारायण पिता उदा एवं नाथु पिता बरदा के कोई जायन्दा संतान नहीं थी और न ही उनके कोई नजदीकी वारिस जीवित हैं। उसके बावजूद पटवार हल्का सुवाणा व भू–माफियों ने मिलीभगत कर नाथू पिता बरदा के वारिस नहीं होते हुए भी गलत सजरा बनाकर नाथु पिता बरदा को छगना बताकर एवं छगना को भी फौत होना बताकर, भंवरलाल को छगना का पुत्र बताकर, भंवरलाल पिता छगना के नाम पर नामान्तरण भरकर प्रशासन गांवों के अभियान केम्प में प्रस्तुत करने के बजाय भौली ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर स्वीकृत करवा लिया। इसी प्रकार नारायण पिता उदा की विरासत का नामान्तरण संख्या 2311 भरकर प्रस्तुत कर भौली केम्प में

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के विपरीत होने से अपास्त होने लायक है। दिनांक 01.02.1960 के विक्रय पत्र के आधार पर लखमा पिता मेघा जी खटीक के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत नही होने से उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड के मौती पिता बरदा के नाम पर ही करवा लिया व उसके आधार पर 90 बी० के तहत नगर विकास न्यास में सर्मपण कर पटटा प्राप्त कर आवासीय कौलोनी बनाकर भूखण्ड विक्रय करनें की कार्यवाही की जा रही है, जबकि उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 2310, कोई वारीस नही होने के बावजुद फर्जी खोला गया जबकि उक्त भूमि के बाबत् राजगामी सम्पति घौषित की जाने की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए थी, इसके अतिरिक्त उक्त भूमि को बरदा पिता मौती भील नें उक्त भूमि को स्टाम्प के जरिए विक्रय भी कर लिया था, किन्तु अनुसुचित जनजाति की होने से अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज नही हो पायी। उक्त भूमि में से अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रभूलाल पिता लखमा खटीक ने साबिक आराजी नम्बर 2373, रकबा 09 नो बीघा 02 दों बिस्वा, भूमि से 02 दों बीघा भूमि क्रय की जिसके नये नम्बर 3871 रकबा 01 एक बीघा 10 दस बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण की खरीद सुदा जिसके बाबत् घौषणा व रेकॉर्ड में दुरस्ती का वाद अलग से विचाराधीन है। चुंकि मूलतः उक्त भूमि आबादी क्षेत्र सुवाणा व भीलवाडा के पास मे स्थित हैं जिसकी किमत 200 दो सो करोड के लगभग है और उक्त भूमि राजगामी सम्पति घौषित की जाना आवश्यक है इससें राज्य सरकार को करोडो रूपयों का नुकसान हुआ हैं। इसलिए उक्त तथाकथित नामान्तकरण की जांच की जाकर वास्तविकता का पत्ता लगाया जाना आवश्यक है। निवेदन है कि अपील अपीलर्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 2310 निर्णय दिनांक 26.12.2001 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक नाथु पिता बरदा के वारीसान की विधिवत जांच व तहकीकात कराई जाकर पश्चातवर्ती प्रविष्टियों को निरस्त की जाकर अपीलार्थीगण की क्रय सुदा भूमि के नाम पर दर्ज कराई जायें शेष बिलानाम सरकार दर्ज कराई जावें।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 06 की ओर से जवाब पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। विपक्षीगणों की ओर से दौराने बहस कोई उपस्थित नही। प्रकरण में अप्रीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित नामान्तरण संख्या 2310 खोला जाकर स्वीकृत किया गया जिसमें ग्राम सुवाणा पटवार हलका सुवाणा की वर्तमान कृषि आराजी नम्बर 3859/1, 3860, 3861/1, 3867, 3871, 3872, 3882 कुल किता 9 कुल रकबा 8

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा